न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा

अपील संख्या : 18/66

1. सत्यनारायण आत्मज श्री रामसुख जी जाति माली ।
2. कंचनबाई पत्नी लक्ष्मीनारायण जी जाति माली निवासीगण जाखोडा तहसील लाडपुरा जिला कोटा ।

———अपीलान्ट

बनाम

1. कंवर लाल आत्मज श्री घांसी लाल जी जाति माली निवासी ग्राम जाखोडा तहसील लाडपुरा जिला कोटा ।
2. रामवतार पुत्र कंवर लाल जी जाति माली ।
3. कृष्णावतार पुत्र श्री कंवर लाल जी जाति माली निवासी जाखोडा तहसील लाडपुरा जिला कोटा ।

———रेस्पोडन्ट

उपस्थित :— 1. श्री रघुवीर सिंह राठौड, अभिभाषक, अपीलान्ट की ओर से ।
2. श्री ललित शर्मा, अभिभाषक, रेस्पोडेन्ट की ओर से ।

निर्णय दिनांकः 05.03.2019

1. अपीलान्ट द्वारा उक्त अपील अन्तर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, कोटा जिला कोटा द्वारा पारित निर्णय एवं डिक्री दिनांक 212.06.2017 के विरूद्ध पेश की गई हैं ।

2. प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार से हैं कि वादीगण अपीलान्ट ने अधीनस्थ न्यायालय में राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 की धारा 188 के अन्तर्गत वाद प्रस्तुत कर निवेदन किया कि ग्राम जाखोडा तहसील लाडपुरा जिला कोटा में वादी कम 1 की अन्य आराजी के साथ खसरा नम्बर 443 की 1.19 हैक्टर तथा वादी कम 2 की अन्य खाते की आराजी के साथ खसरा नम्बर 442 की रकबा 3.66 हैक्टर भूमि स्थित है । वादीगण की आराजी के पास ही प्रतिवादीगण की आराजी खसरा नम्बर 42/923 स्थित है । प्रतिवादीगण, वादीगण की उक्त आराजी पर जबरन मदाखलत एवं मजाहमत करते हैं तथा जबरन वादीगण की आराजी पर कब्जा करने पर आमादा है जिसका उन्हें कोई अधिकार नहीं है ।

3. अतः वादीगण का वाद स्वीकार किया जाकर वादीगण के पक्ष में प्रतिवादीगण के विरूद्ध इस आशय की डिक्री पारित की जावे कि प्रतिवादीगण वादीगण के खाते व कब्जे काश्त की आराजी खसरा नम्बर 443 एवं खसरा नम्बर 442 में किसी प्रकार की मदाखलत व मजाहमत नहीं करे तथा उक्त आराजी के किसी भी भाग पर कब्जा नहीं करे तथा वादीगण को शांतिपूर्वक काश्त करने दे ।

4. अधीनस्थ न्यायालय ने उक्त वाद को लोक अदालत में रखते हुए अपने निर्णय दिनांक 12.06.2017 के द्वारा वाद वादीगण स्वीकार कर डिक्री कर दिया ।

5. अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित उक्त अपीलाधीन निर्णय दिनांक 12.06.2017 से व्यथित होकर वादीगण अपीलान्ट ने न्यायालय हाजा में अपील प्रस्तुत कर निवेदन किया कि अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलान्ट को सूचित किये बिना ही एकपक्षीय निस्तारण करते हुए आदेश पारित किये हैं – कि ग्राम जाखोडा तहसील लाडपुरा जिला कोटा में वादी कम 1 की आराजी खसरा नम्बर 443 की 1.19 हैक्टर एवं वादी कम 2 की आराजी खसरा नम्बर 442 की 3.66 हैक्टर भूमि का वादीगण की उपस्थिति में पैमाईश करवाकर संभलाने के आदेश किये जाते हैं डिक्री पर्चा जारी किया जावे । तहसीलदार लाडपुरा को उक्त वर्णित आराजी की पक्षकारान की उपस्थिति में पैमाईश करवाने के उपरान्त बची हुई आराजी को प्रतिवादीगण को रास्ते के उपयोग करने हेतु नियमानुसार आवंटित करने के आदेश पारित किये हैं । बची हुई आराजी को प्रतिवादीगण को रास्ते के उपयोग करने हेतु आवंटित करने के आदेश पारित किये हैं जो आवंटित करने की हद तक काबिल निरस्तनीय है । उक्त पत्रावली सहायक कलक्टर मुख्यालय कोटा के न्यायालय में लम्बित चल रही थी जिसमें गत तारीख पेशी दिनांक 24.05.2017 को न्यायालय द्वारा उक्त प्रकरण को लोक अदालत में रेफर किया जाकर पक्षकारान को दिनांक 12.06.2017 को उपस्थित होने के लिए नोटिस जारी करने का आदेश पारित किया हआ था लेकिन पक्षकारान को कोई सूचना जारी नहीं की गई । सीपीसी की पालना किये बिना ही उक्त निर्णय पारित किया है । अतः अपील अपीलान्ट स्वीकार फरमाई जाकर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय एवं डिक्री दिनांक 12.06.2017 निरस्त फरमाया जावे ।

6. अपीलान्ट ने अपील के साथ एक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 05 भारतीय मियाद अधिनियम का पेश कर निवेदन किया कि अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलान्ट की अनुपस्थिति में उक्त अपीलाधीन निर्णय एवं डिक्री पारित की है जिसकी अपीलान्ट को कोई जानकारी नहीं थी । उक्त निर्णय एवं डिक्री की सर्वप्रथम जानकारी दिनांक 19.01.2018 को पटवारी हल्का के बताने पर हुई जिस पर उक्त निर्णय एवं डिक्री की नकल प्राप्त कर यह अपील न्यायालय हाजा में पेश की गई है । अतः जानकारी के अभाव में अपील प्रस्तुत करने में हुए विलम्ब अवधि को क्षम्य किया जावे ।

7. अपील अपीलान्ट सब्जेक्ट टू लिमिटेशन दर्ज रजिस्टर की गई । अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली तलब की गई । उभय पक्ष के लायक अधिवक्तागण की बहस सुनी गई ।

8. अपीलान्ट के लायक अधिवक्ता ने अपनी बहस में अपील मीमो में कहे गये कथनों को दोहराया और निवेदन किया कि वादीगण अपीलान्ट का वाद न्यायालय सहायक कलक्टर मुख्यालय

कोटा में लम्बित था जिसमें गत तारीख पेशी 24.05.2017 को न्यायालय द्वारा उक्त प्रकरण को लोक अदालत में रेफर किया जाकर उक्त प्रकरण में पक्षकारान को दिनांक 12.06.2017 को उपस्थित होने के लिए नोटिस जारी करने का आदेश पारित किया था परन्तु अधीनस्थ न्यायालय ने पक्षकारान को नोटिस जारी किये बिना ही और अपीलान्ट की अनुपस्थिति में उक्त अपीलाधीन निर्णय एवं डिक्री पारित कर दी । अधीनस्थ न्यायालय में पक्षकारान द्वारा किसी प्रकार का कोई राजीनामा भी पेश नहीं किया है । अधीनस्थ न्यायालय ने सीपीसी की पालना किये बिना ही पक्षकारान की अनुपस्थिति में उक्त अपीलाधीन निर्णय एंव डिक्री पारित की है जो त्रुटिपूर्ण होने से निरस्तनीय है । अधीनस्थ न्यायालय की आदेशिका एवं डिक्री में अन्तर है । प्रतिवादी का कोई काउन्टर क्लेम नहीं था जो रिलीफ प्रतिवादीगण ने नहीं मांगी है वो प्रदान की गई है । अतः अपील अपीलान्ट स्वीकार फरमाई जाकर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय एवं डिक्री दिनांक 12.06.2017 निरस्त फरमाया जावे । उन्होंने अपने कथनों के समर्थन में आरआरडी 1990 पेज 364 उद्धरत की ।

9. रेस्पोडेन्ट के लायक अधिवक्ता ने अपनी बहस में कथन किया कि अधीनस्थ न्यायालय ने लोक अदालत की भावना से पारित किया है । वादीगण अपीलान्ट ने प्रतिवादीगण की आराजी पर जाने का एकमात्र रास्ता जो कि पूर्वजों के समय से चला आ रहा था, प्रतिवादीगण उक्त रास्ता का उपयोग उपभोग करते चले आ रहे थे जो कि वादीगण द्वारा बन्द कर दिया गया । प्रतिवादीगण द्वारा वादीगण की किसी भी भूमि पर कब्जा नहीं किया गया है, रास्ते का विवाद है । अधीनस्थ न्यायालय ने विधि सम्मत रूप से निर्णय एवं डिक्री पारित की है । अतः अपील अपीलान्ट सारहीन होने से खारिज फरमाई जावे ।

10. हमने पत्रावली का अद्योपान्त अवलोकन किया एवं उभय पक्ष के लायक अधिवक्तागण की बहस पर मनन किया । हमने सर्वप्रथम अपीलान्ट द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 05 भारतीय मियाद अधिनियम का अवलोकन किया । अपीलान्ट ने अपने प्रार्थना पत्र में विलम्ब के जो कारण दर्शित किये हैं वे उचित प्रतीत होते हैं । अतः न्यायहित में अपीलान्ट द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 05 स्वीकार किया जाकर अपील प्रस्तुत करने में हुए विलम्ब अवधि को क्षम्य किया जाता है ।

11. वादीगण अपीलान्ट ने वादग्रस्त आराजी के सम्बन्ध में न्यायालय सहायक कलक्टर मुख्यालय कोटा में वाद प्रस्तुत किया था । प्रस्तुत वाद में तारीख पेशी 24.05.2017 को न्यायालय द्वारा उक्त प्रकरण को लोक अदालत में रखने का आदेश किया जाकर उक्त प्रकरण में पक्षकारान को दिनांक 12.06.2017 को उपस्थित होने के लिए नोटिस जारी करने का आदेश पारित किया था परन्तु अधीनस्थ न्यायालय ने पक्षकारान को नोटिस जारी किये बिना ही और पक्षकारान की अनुपस्थिति में गुणावगुण के आधार पर निर्णय एवं डिक्री पारित कर दी । जबकि लोक अदालत में केवल ऐसे प्रकरणों का निस्तारण किया जाता है कि जिसमें उभयपक्ष उपस्थित होकर विधिक रूप से राजीनामा पेश करे । इसके अभाव में दावे एवं जवाबदावे के आधार पर तनकीयात का कायम कर प्रत्येत तनकी पर पक्षकारान की साक्ष्य लेकर प्रत्येक तनकी का स्पष्ट निष्कर्ष पारित करते हुए सीपीसी की पालना करते हुए गुणावगुण के आधार पर निर्णय पारित करना होता है । अधीनस्थ न्यायालय द्वारा जो निर्णय एवं डिक्री पारित की गई है वह त्रुटिपूर्ण होने एवं लोक अदालत की भावना के विपरीत होने से निरस्तनीय है । हम प्रस्तुत प्रकरण को अधीनस्थ न्यायालय को प्रतिप्रेषित किया जाना उचित समझते हैं ।

12. अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलान्ट आंशिक रूप से स्वीकार की जाती है । अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय दिनांक 12.06.2017 निरस्त किया जाता है । प्रकरण अधीनस्थ न्यायालय को प्रतिप्रेषित कर निर्देशित किया जाता है कि वह दावे एवं जवाबदावे के आधार पर कायम प्रत्येक तनकी पर पक्षकारान की साक्ष्य लेकर प्रत्येक तनकी का स्पष्ट रूप से निष्कर्ष पारित करते हुए, सीपीसी की पालना करते हुए गुणावगुण के आधार पत्रावली प्राप्ति से 06 माह के अन्दर नये से विधि सम्मत निर्णय पारित करें । पक्षकारान को पाबन्द किया जाता है कि वे दिनांक 29.04.2019 को अधीनस्थ न्यायालय में उपस्थित हों ।

13. निर्णय आज दिनांक 05.03.2019 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया ।

5/3/19

(भागवंती जेठवानी)
राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा